जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 25.09.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 561/2026 धारा 85/109(1) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र सुरेश (पति) 2.सुरेश (ससुर) 3. विजिया पत्नी सुरेश (सास) निवासीगण ग्राम शहालीपुर कोटरा, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए ₹50,000/- नकद एवं सास विजिया के लिए सोने के जेवर की मांग की गई तथा मांग पूरी न होने पर मीनाक्षी का जान से मारने की नीयत से गला दबाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 561/2026 धारा 85/109(1) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 25.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम शहालीपुर कोटरा, थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम शहालीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1276 राहुल यादव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 2040 रजत थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना रेहड **दिनांक 25.09.2026**

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0स0 61/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तो को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.09.2026 को आवेदक राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री छज्जू सिंह निवासी ग्राम रेहड जनपद बिजनौर द्वारा थाना रेहड पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत में रखे उपकरण (एक सोलर प्लेट, दो छोटी बैटरी, एक बैटरी वाला स्टैण्ड पंखा तथा करंट झटका मशीन) चोरी कर लिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0स0 61/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 25.09.2026 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.नाजिम पुत्र शराफत 2.समीर पुत्र मौ0उमर निवासीगण ग्राम व थाना रेहड बिजनौर को चोरी किये गये सामान (एक सोलर प्लेट, दो छोटी बैटरी, एक बैटरी वाला स्टैण्ड पंखा तथा करंट झटका मशीन) सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का विवरण –

1.नाजिम पुत्र शराफत निवासी ग्राम व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

2.समीर पुत्र मौ0उमर निवासी ग्राम व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण –

एक सोलर प्लेट, दो छोटी बैटरी, एक बैटरी वाला स्टैण्ड पंखा तथा करंट झटका मशीन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार वर्मा थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. है0का0 233 मौ0 दानिश थाना रेहड जनपद बिजनौर।
4. का0 907 प्रशांत चौधरी थाना रेहड जनपद बिजनौर।
5. का0 2064 वंश तोमर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।